

कार्यालय  
पत्रांक:-

जिला  
/ नक्शा / जि० प० गा० / 2019-20

पंचायत

गाजियाबाद।  
दिनांक:-

अनुज्ञा-पत्र

विषय- मै० आईनोक्स एयर प्रोडक्ट्स प्रा० लि० ग्राम यूसुफपुर, ईसापुर मोदीनगर के खसरा संख्या 172, 173KA, 173KHA, 185A, 171 औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक ईकाई के नक्शे की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मै० आईनोक्स एयर प्रोडक्ट्स प्रा० लि० ग्राम यूसुफपुर, ईसापुर मोदीनगर के पत्र दिनांक 08.07.2019 के द्वारा उपरोक्त स्थल पर औद्योगिक ईकाई के हेतु नक्शे की स्वीकृति चाही गई है। इस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 21920.00 वर्ग मी० है। ईकाई का मानचित्र वास्तुविद-द्वारा तैयार किया गया है। कुल प्लॉट एरिया 1129.38 वर्ग मी० में से भूतल पर 1129.38 वर्ग मी० में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के सम्बन्ध में उ० प्र० गजट 27 अक्टूबर 2018 में प्रकाशित सं० 157/23-02/2018-2020 उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 1961 की धारा 239 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. किसी विकास कार्य के लिए जिला पंचायत कोई व्यय नहीं करेगी एवं परिवर्तन की दशा में पुनः आवेदन करना होगा।
3. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध माना जायेगा।
4. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
5. अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिये गये शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा करना होगा। उक्त के अतिरिक्त कोई विकास शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।
6. इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी निम्नवत: सुनिश्चित की जायें-

क्र० सं०	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाइन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन	3.7+(0.305मी०) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305मी०) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

7. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रैम्प स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे।
8. संस्था के द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था उचित प्रकार एवं स्वयं करनी होगी।
9. अग्निशमन विभाग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
10. भवन निर्माण योग्यता प्राप्त इंजीनियर/आर्किटेक्ट की देख रेख में कराया जायेगा एवं संरचना व रेपेसिफिकेशन्स की पूर्ण जिम्मेदारी सरस्था की स्वयं होगी।
11. निर्माण कार्य करते समय आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में दर्शाये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य जरूरी बिल्डिंग उपनियम(जिला पंचायत) के अनुसार कराया जायेगा।
12. कार्य आवागमन अवरुद्ध किये बिना पूर्ण किया जायेगा।

13. कार्य पूर्ण होने पर एक सप्ताह के अन्दर विभाग को सूचित करना होगा।
14. निर्माण के सुरक्षित व भूकम्प रोधी डिजाईन की जिम्मेदार वास्तुविद की होगी।
15. कार्य पूर्ण होने पर जिला पंचायत विभाग से एक माह के अन्दर पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रतिवेदन देना होगा एवं उपविधि के प्राविधान विन्दू के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
16. अन्य विभागों से अदेय एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता पडने पर लेने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
17. Construction will be done in accordance with all the relevant codes of practice as per latest Indian standards.
18. Paving will be provided as per bye laws and clear road width provided as per fire norms.
19. निर्माण की प्रक्रिया में जिला पंचायत के Consultant Architect द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार समय समय पर आपके वास्तुविद व Structural Engineer के माध्यम से निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित कराव जाने के साथ ही सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किये जाते रहेंगे।
- 1- Structure stability certificate from structural Engineer (M Tech) stating that all stipulated combinations of load (static & dynamic) in vertical and lateral direction have been incorporated in the analysis and design also stating that the design is confirming to all the relevant codes of practice as per latest Indian standards.
- 2- Client affidavit on stamp paper stating that they are adhering to the all the bye laws of Zila Panchayat and structural drawings.
- 3- Structural Engineer shall visit the site and check the execution at foundation and roof floor level. Same will be submitted in certificate and photographic evidence to the Upper Zila Adhikari.


अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

तददिनांक:- ५.१०.२०२०

पृष्ठांकन सं०:- ५४३ / नक्शा / जि०प०गा० / २०१९-२०

प्रतिलिपि- १. सम्बन्धित नक्शा मालिक, गाजियाबाद।

२. अवर अभियंता, जिला पंचायत गाजियाबाद को इस आशय के साथ की नियमानुसार कार्यवाही करें।

  
अभियन्ता  
जिला पंचायत, गाजियाबाद।